संख्या: 11/2015/589 प्रो0/51-2015-14(02)/2012

प्रेषक,

इन्द राज सिंह,
उप सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा ।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊ :दिनांक 16 मार्च, 2015

विषय:- राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 161/प्रोटोकाल, दिनांक 16 जनवरी, 2015, संख्या: 162/प्रोटोकाल, दिनांक 16 जनवरी, 2015, संख्या: 164/प्रोटोकाल, दिनांक 16 जनवरी, 2015, संख्या: 171 /प्रोटोकाल, दिनांक 21 जनवरी, 2015 संख्या: 185/प्रोटोकाल, दिनांक 18 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रुपये 59,124-00 (रुपये उनसठ हजार एक सौ चौबीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रम	मा0 राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि/वाहन संख्या/ देयक संख्या/दिनांक/खान-पान से संबंधित देयक संख्या	धनराशि
1-	मा0 न्यायमूर्ति श्री जी0 एस0 सोलंकी जी, मा0 उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, दिनांक 14-12-2014 से 15-12-2014 तक वाहन संख्या-यू0पी0-32, बी0एन'5932, देयक संख्या: आगरा-2714, दिनांक 28-12-2014	रु 6,611-00
2-	मा0 न्यायमूर्ति श्री यू0 सी0 माहेश्वरी,, मा0 उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश । दिनांक 30-11-2014, वाहन संख्या-यू0पी0--इ0 एन0-3486, देयक संख्या: आगरा-2709, दिनांक 29-11-2014,	रु 2,623-00
3-	श्री राम शंकर कठेरिया जी, राज्य मंत्री, , दिनांक 19-12-2014,	रु 10,416-00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वाहन संख्या-यू0पी0-32, बी0एन-5932, देयक संख्या: आगरा-2720, दिनांक 31-12-2014	
4-	मा0 न्यायमूर्ति श्री जी0 एस0 सोलंकी जी, मा0 उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश दिनांक 02-08-2014 से 03-08-2014, वाहन संख्या-यू0पी0-80, बी0 टी0-9705,, देयक संख्या: आगरा-109, दिनांक 03-08-2014	रु 13,500-00
5-	श्री राम शंकर कठेरिया जी, मा0 मंत्री, मानव संसासधन विकास, भारत सरकार, दिनांक 29-12-2014 से 01-01-2015 तक, वाहन संख्या-देयक संख्या-आगरा-2725, दिनांक 31-12-2014	रु 12,935-00
6-	मा0 न्यायमूर्ति श्री जी0 एस0 सोलंकी जी, मा0 उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, दिनांक 22-01-2015 से 25-01-2015 तक, वाहन संख्या-यू0पी0-32, बी0 एन0-3253,, देयक संख्या: आगरा-2732, दिनांक 31-01-2015,	रु 13,039-00
	(रुपये उनसठ हजार एक सौं चौंबीस मात्र)कुल योग	रु 59,124-00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नही किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2053-जिला प्रशासन-आयोजनेत्तर-093-जिला स्थापनायें-03-कलेक्ट्रेट स्थापनायें-22-आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा ।

संलग्नक - 06 मूलदेयक ।

भवदीय

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 11/2015/589(1)प्रो/51-2015-14(02)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- कोषाधिकारी, आगरा ।
4- प्रबन्ध निदेशक , उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आगरा ।
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से

(इन्द्र राज सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।